

मध्यप्रदेश के मानव विकास के ७२-७३ संस्करण

## मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

### दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक २१ अगस्त, १९९६ (श्रावण ३०, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन

#### १. निधन उल्लेख.

श्री बलवन्त सांगले, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

प्रधान के निधन के प्रति सभा के अधिकारी ने जवाब दिया है।

#### २. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

#### ३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यानकर्षण

(१) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, बृजमोहन अग्रवाल, बच्चन नायक, सदस्य, रायसेन जिले की सोम डिस्ट्रिक्ट के जहरीले पानी से बेतवा नदी की मछलियों की मौत होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों का श्रमिकों को भुगतान न हो पाने के संबंध में लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(३) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम कुटुरबा में नाबालिंग छात्रों का धर्म परिवर्तन कराये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(४) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले की स्वती तहसील के कांदानार में एक इस मिल मालिक द्वारा विद्युत शुल्क की चोरी किए जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

#### ४. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति.

श्री शिवप्रताप सिंह (गुना), सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बाइसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

\*सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।\*

५. वर्ष १९९६-९७ के प्रथम अनुप्रक अनुमान का उपस्थापन.

श्री अजय मुश्हेन, वित्त मंत्री, वर्ष १९९६-९७ के प्रथम अनुप्रक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

६. शासकीय विधि विषयक कार्य.

निर्धारित

समय

३ घन्टे

(शेष २ घन्टे  
२५ मिनिट)

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेक, १९९६ (क्रमांक ११ सं. १९९६) पर विचार किया जाय- चर्चा का पुनर्गहण।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेक पारित किया जाय।

७. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्य.

१ घन्टा

३० मिनिट

प्रदेश में पेयजल की कमी एवं दूषित पेयजल से संक्रामक बीमारियाँ फैलने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सुरेन्द्र वर्मा, गिरिज मण्डलोई, गोपाल परमार, नेमीचंद जैन, रणजीत सिंह गुणवान, घनश्याम पाटीदार, डॉ. गोविंद सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, गोपीकृष्ण नेमा, रघुनन्दन शर्मा, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, छत्रपति सिंह, निर्भक सिंह पटेल एवं बनवाशेलाल अग्रवाल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

८. नियम १४२-क के अधीन अल्पकालीन कार्य.

४५ मिनिट

प्रदेश की अधूरे सिंचाई/लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, उदय मुदलियार, बच्चन नायक, छत्रपति सिंह एवं रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

अशोक चतुर्वेदी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

दिनांक २० अगस्त, १९९६।

मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए इसका सम्बोधन दिया जाता है।

— विधान सभा के लिए इसका सम्बोधन दिया जाता है।

हाजार के लिए इसका सम्बोधन दिया जाता है।

— इसका सम्बोधन दिया जाता है।